सत्यमेव जयते

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित

HDFC ERGO

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

मौसम – खरीफ 2022

सुरक्षित कृषक, राष्ट्र का गौरव

उद्देश्य:

1. प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना।
2. कृषि में उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना।
3. आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।

पात्र कृषक: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी)

(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंकों को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुन: बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।)

राम सरन वर्मा

यह राज्य के चुनिंदा किसानों में एक है, जिन्होंने 1988 में केले की खेती में टिश्यू कल्चर की शुरुआत करी और 1 एकड़ खेत में 400 क्विंटल केले उगाए| मिट्टी के कटाव को कम करने, उसकी उर्वरता बढ़ाने और उपज बढ़ाने के लिए, इन्होंने फसल चक्र को अपनाया। आज भी इनके तरीकों से, पड़ोसी जिलों के 50,000 से अधिक किसानों को फायदा मिल रहा है। ये देश में और बाहर के किसानों के लिए प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाओं का भी आयोजन करते है। कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए, इन्हे 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।

बीमा कहाँ करायें

- बैंक शाखा
- www.pmfby.gov.in
- CSC (e-Governance Services India Limited) जन सेवा केंद्र
- बीमा कार्यालय

बीमा की ईकाई
संसूचित ग्रामपंचायत

अधिसूचित फसल
बाजरा, उड़द, मूंग, मक्का, धान, मूंगफली, तिल, ज्वार, सोयाबीन अरहर (तूर)

बीमा कराने की अन्तिम तिथि
31 जुलाई, 2022

कृषक द्वारा देय प्रीमियम
अधिकतम बीमित राशि का 2%

बीमित राशि (रु./हे.)
प्रति हेक्टेयर संसूचित राशि

(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

बीमा से आच्छादित जोखिम

ग्रामपंचायत स्तर पर (क्षेत्र आधारित)

- असफल बुआई की स्थिति में।
- फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के नुकसान की स्थिति में।
- फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारन्टीड/थ्रेशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में।

व्यक्तिगत आधार पर

- स्थानीय आपदा – खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति की स्थिति।
- फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात/चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति। (उपरोक्त आपदा स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर सूचना देना अनिवार्य है।)

फसल नुकसान के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु

1800 266 0700
1800 889 6868

- बैंक शाखा
- कृषि विभाग
- क्राप इन्स्योरेन्स ऐप

कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना, बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in) कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं. एवं क्रियान्वयक अभिकरण से सम्पर्क करें।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2022 के अन्तर्गतजनपद/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक देय प्रीमियम राशि (रु./हे.)

(खरीफ 2022 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी को अधिकृत जिलों के अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर – बाजरा, उड़द, मूंग, मक्का, धान, मूंगफली, तिल, ज्वार, सोयाबीन, अरहर (तूर) – बीमित राशि का 2%)

मौसम खरीफ 2022		फसल									
जिला		बाजरा	उड़द	मूंग	मक्का	धान	मूंगफली	तिल	ज्वार	सोयाबीन	अरहर (तूर)
भदोही	बीमित राशि ₹	25012	-------	-------	-------	77292	-------	-------	-------	-------	83822
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	500.24	-------	-------	-------	1545.84	-------	-------	-------	-------	1676.44
चंदौली	बीमित राशि ₹	25340	-------	-------	-------	82209	-------	-------	33405	-------	63440
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	506.8	-------	-------	-------	1644.18	-------	-------	668.1	-------	1268.8
गाजीपुर	बीमित राशि ₹	31364	-------	32458	-------	64120	-------	-------	47078	39900	65250
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	627.28	-------	649.16	-------	1282.4	-------	-------	941.56	798	1305
जौनपुर	बीमित राशि ₹	24784	49385	-------	28959	64687	-------	-------	37587	-------	61260
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	495.68	987.7	-------	579.18	1293.74	-------	-------	751.74	-------	1225.2
ललितपुर	बीमित राशि ₹	-------	33014	34277	18336	19558	41005	10000	-------	33115	-------
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	-------	660.28	685.54	366.72	391.16	820.1	200	-------	662.3	-------
मिर्जापुर	बीमित राशि ₹	27044	-------	-------	23049	69037	89706	8910	27107	-------	62652
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	540.88	-------	-------	460.98	1380.74	1794.12	178.2	542.14	-------	1253.04
सोनभद्र	बीमित राशि ₹	-------	42442	-------	18378	67752	-------	14228	38964	-------	55947
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	-------	848.84	-------	367.56	1355.04	-------	284.56	779.28	-------	1118.94
वाराणसी	बीमित राशि ₹	24512	45292	-------	32380	67921	-------	-------	33711	-------	63498
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	490.24	905.84	-------	647.6	1358.42	-------	-------	674.22	-------	1269.96

pmfby.up@hdfcergo.com   https://pmfby.gov.in/farmer

एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165–166 बैकवे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई–400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉसपैक्टस को पढ़ लें. ऊपर दर्शाये लोगो एचडीएफसी लि. और अर्गो इंटरनेशनल एजी के हैं तथा कंपनी द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत इनका इस्तेमाल किया गया है. यूआईएन: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18. UID: 10754.